रजिस्टर्ड नं० एल० ३८[illegible]

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, २ अप्रैल, १९७०

चैत्र १२, १८९२ शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 1270/17—107-70

लखनऊ, 2 अप्रैल, 1970 ई०

विज्ञप्ति

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित प्रदेश लैन्ड रेवेन्य (संशोधन) विधेयक, 1970 पर दिनांक 31 मार्च, 1970 ई० को अनुमति प्रदान की और वह प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1970 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1970)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

मिधरों तथा सीरदारों के लिए उनके खातों के सम्बन्ध में जोत-बही नामक उद्धरण तैयार करने कको दिये जाने की और तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा। **संक्षिप्त नाम**

—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 33 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित में बढ़ा दी जायं, अर्थात्— **यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, 1901 की धारा 33 का संशोधन**

"(4) उपधारा (1) के अधीन जब-जब वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाय, कलेक्टर, उसकी तैयारी के उपरान्त यथाशक्यशीघ्र, प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त जो भूमिधर या सीरदार अभिलिखित हो, एक पास बुक, जिसे जोत-बही

कहा जायगा, तैयार करायेगा और ऐसी रीति से और ऐसे शुल्क के, जो मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा, भुगतान पर उसे दिलवायेगा, जिसमें उसकी उन सभी जोतों के विषय में जिनके सबंध में वह (एकलत:अथवा दूसरों के साथ सयुक्त:) तद्रूप में अभिलिखित है, वार्षिक रजिस्टर से लिए गये ऐसे उद्धरण निहित होंगे, जिन्हें नियत किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त खातों की दशा में, इस उपधारा के *प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा यदि जोत-बही अभिलिखित सह-अंशधारियों में से, केवल ऐसे एक या एकाधिक को जो नियत किया जाय, दी जाय।*

स्पष्टीकरण—जोत-बही, खातेदार की सीरदारी और भूमिधरी खातों के लिए संहत पास बुक होगी।

(5) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नया वार्षिक रजिस्टर तैयार न कर लिया जाये, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, बिना अतिरिक्त शुल्क दिये उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रजिस्टर में किये गये किन्हीं संशोधनों को अपनी जोत-बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा।

(6) राज्य सरकार इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है, जिसके अन्तर्गत, विशेष रूप से, जोत-बही की प्रविष्टियों को न्यायिक कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने और उन्हें सिद्ध करने की रीति और उन्हें अद्यावधिक पुनरीक्षित तथा प्रमाणित करने की रीति और उसकी द्विक प्रतियां जारी करना, और किन्हीं उक्त प्रयोजनों के लिए लिया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, शामिल है।

(7) इस धारा में "नियत" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है।

(8) उपधारा (4) से (7) तक की कोई बात किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में लागू न होगी जो चकबन्दी क्रियाओं या अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत हों।"

उ० प्र० अध्यादेश सं०-3, 1970 का निरसन

3—उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवन्यू (संशोधन) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

No. 1270/XVII—107-70

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar-Pradesh Land Revenue (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1970) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 31, 1970.

THE UTTAR PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, 1970

(U. P. Act No. 9 of 1970)

(As Passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the preparation of and supply to Bhumidhars and Sirdars in respect of their holdings an extract called Jot Bahi and for matters connected therewith.

It is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 1970.

2. In section 33 of the U. P. Land Revenue Act, 1901, *after* sub-section), the following sub-sections shall be *inserted* namely :—

Amendment of Section 33 of the U. P. Act no. 3 of 1901.

"(4) Every time an annual register is prepared under sub-section (1), the Collector shall, as soon as may be after its preparation, cause to be prepared and supplied to every person recorded as *bhumidhar* or *sirdar* a pass book, to be called the *Jot Bahi*, which shall contain such extracts from the annual register relating to all holdings of which he is so recorded (either solely or jointly with others) and in such manner and on payment of such fee, which shall be realisable as arrears of revenue, as may be prescribed :

Provided that in the case of joint holdings it shall be sufficient for the purposes of this sub-section if the *Jot Bahi* is supplied only to such one or more of the recorded co-sharers as may be prescribed.

Explanation—The *Jot Bahi* shall be a consolidated pass book for *sirdari* as well as *bhumidhari* holdings of a tenure-holder.

(5) Until a new annual register has been prepared under sub-section (1), every such person shall be entitled, without payment of any extra fee, to get any amendments made in the annual register under sub-section (2) incorporated in his *Jot Bahi*.

(6) The State Government may make rules to carry out the purposes of this section, including, in particular, rules prescribing the mode of reception in evidence, and of proof in judicial proceedings, of entries in the *Jot Bahi*, and the mode of its revision and authentication up-to-date and for issue of duplicate copies thereof, and the fees, if any, to be charged for any of the said purposes.

(7) In this section, 'prescribed' means prescribed by rules made by the State Government.

(8) Nothing in sub-sections (4) to (7) shall apply in relation to any area which is either under consolidation operations or under record operations."

3. The Uttar Pradesh Land Revenue (Amendment) Ordinance, 1970 is reby repealed.

Repeal of U. P. Ordinance no. 3 of 1970.

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
सचिव ।

एस० यू० पी०—ए० पी० ४ गजट (हि०)—१९७०—२०३५+५० (मे०) ।